आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

न्यायालय, समाहर्त्ता, मधुबनी

सी०सी०ए० वाद संख्या–74/2021–22

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के तहत

सरकार

बनाम

योगेन्द्र मुखिया उर्फ खुरखुर

****

05-10-2021

पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के पत्रांक 3698/सी.आर दिनांक–23.09.2021, द्वारा अपराधकर्मी **योगेन्द्र मुखिया उर्फ खुरखुर, पिता– जगदीश मुखिया, सा0–भगवतीपुर, थाना–पण्डौल, जिला–मधुबनी** के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तुत वाद का सृजन करते हुए अपराधकर्मी को धारा–3(1) के तहत अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक–25.09.2021 को नोटिस जारी किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी दिनांक– 05.102021 को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अधिवक्ता द्वारा बिना साक्ष्य का कारण–पृच्छा समर्पित किया गया है। इसके आलोक में निर्धारित तिथि यथा 05.10.2021 को इनके वादों पर सुनवाई की गई।

अपराधकर्मी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया कि इनके पक्षकार कभी अपने गॉव एवं आसपास में कभी भी अपराध की घटना नही कि है और न ही अपराधिक घटना में संलिप्तता नही जाना जाता है और न ही ये आदतन अपराधी हैं। पण्डौल थाना काण्ड सं0–143/18 एवं पण्डौल थाना सनहा सं0–509/21 दिनांक 18.09.21 एवं 522/21 दिनांक 18.09.21 दर्ज है, को विद्वान अधिवक्ता द्वारा इनके पक्षकार को इस वाद से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार के तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य एवं कागजात माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ताकि ये बात साबित हो सके कि ये अब आपराधिक कार्य में लिप्त नहीं हैं।

यदि पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं उसके साथ संलंग्न कागजातों की चर्चा की जाए तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा अंकित किया गया है कि

> *"असमाजिक तत्वों/ अपराधकर्मी योगेन्द्र मुखिया उर्फ खुरखुर के कुकृत्यो से पण्डौल थाना क्षेत्र एवं इनके घर के आस–पास की जनता में इनका भय एवं आतंक व्याप्त है। ये चोरी के कांडों में संलिप्त रहे है। वर्तमान में ये माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है। जमानत पर मुक्त होने के बाद भी इनकी अपराधिक सक्रियता प्रकाश में आयी है। इनके द्वारा हाल–फिलहाल के दिनों में पण्डौल थाना क्षेत्र के ईलाको में अपने साथियों के साथ मिलकर आसन्न पंचायत चुनाव 2021 के दौरान गडबड़ी फैलाने के फिराक में है। इनके भय से मुहल्ला एवं आस–पास के लोग सामने आकर कोई शिकायत करना नही चाहते है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा निम्नांकित कांडों को इनके बदर करने का आधार बतलाया गया है –*
>
> *01. पण्डौल थाना काण्ड संख्या–143/18 दिनांक 17.04.18 धारा*

457/380/411 भा०द०वि०

02. पण्डौल थाना सनहा संख्या– 509/21 दिनांक 18.09.21 एवं 522/21 दिनांक 18.09.21

इस प्रकार से उपरोक्त के आधार पर मधुबनी जिला में अमन, चैन, शांति व्यवस्था एवं जन सामान्य की सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने हेतु उक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध धारा–3 के तहत आदेश पारित करने की अनुशंसा की गई है।'

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपराधकर्मी के विरुद्ध एक मामले दर्ज है। जो वर्ष 2018 में दर्ज किये गये थे। इसके उपरांत प्रतिवादी के विरुद्ध कोई भी मामले दर्ज नहीं होना पाया गया है। चुँकि पंडौल प्रखंडन्तर्गत दिनांक 29.09.2021 को शान्ति पूर्ण चुनाव हो चुका है।

इस प्रकार से प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों तथा प्रतिवादी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरांत योगेन्द्र मुखिया उर्फ खुरखुर, पिता– जगदीश मुखिया, सा0–भगवतीपुर, थाना–पण्डौल, जिला–मधुबनी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–03 अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव को खारिज किया जाता है।

इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी,
मधुबनी

जिला दण्डाधिकारी,
मधुबनी

ज्ञापांक सं0 1107 /जि0वि0न्या0,मधुबनी दिनांक 21/10/21

प्रतिलिपि :– थानाध्यक्ष, पण्डौल को दो आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। एकप्रति अपराधकर्मी को तामिला करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/21

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
मधुबनी।